न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 231/2018

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

1. रामलाल पुत्र हरदेव, कौम–भांबी (मेघवाल), निवासी–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.) हाल निवासी– माता बरोड़ी तहसील–हातोद, जिला–इन्दौर(मप्र)

1. वीरमराम पुत्र रूघाराम कौम–मेघवाल, निवासी–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
2. पुखराज पुत्र गुलाबराम जाति–मेघवाल, निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/09/2018

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण, प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 23/07/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा काणेचा, पटवार हल्का काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी की खातेदारी एवं पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 10–04 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के पिता हरदेव जी का कब्जा व काश्त चला आ रहा था, तथा हरदेवजी खाने कमाने के लिए मध्यप्रदेश में परिवार सहित रहने लगे एवं ग्राम काणेचा में परिवार में शादी विवाह त्यौहार उत्सव मौत मरतंग आदि में आना जाना रहता था। तथा अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति के बारे में वादी के पिता बताते रहते थे। जिसमें उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी को बोने एवं उपयोग उपभोग करने हेतु वादी के परिवार के प्रतिवादीगण संख्या 1 वीरमराम पुत्र रूघा को वादी के बड़े पिता का लड़का भाई लगता है को सुपुर्द कर रखी थी। एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 समय–समय पर वादी को उसका हासल के रूप में फसल एवं रूपये वगैरा देता रहता था। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी पर वादी के पिता के समय से वादी का बिना रोकटोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। एवं वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा व हक अधिकार कायम है। तथा वादी के पिता का देहान्त सन् 1984 में हो गया तथा वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी में नकले प्राप्त करके म्यूटेशन हेतु कार्यवाही की जिसमें वादी ने यह पाया कि उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि में दिनांक 21/11/1978 को तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 वीरमराम पुत्र हरदेव के नाम का म्यूटेशन पारित कर दिया है। जो कि एक रोंग एन्ट्री एवं तथ्यात्मक सहवन की भूल से ऐसा इन्द्राज हुआ है। एवं इसी आधार पर वीरमराम द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 पुखराज के नाम से विक्रय विलेख कर दी। जिस कारण से उपरोक्त वर्णित आराजी में वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 वीरमराम हरदेव जी का पुत्र नहीं है बल्कि वादी रामलाल ही हरदेव जी का एक मात्र जायंदा पुत्र है। इस प्रकार से उक्त म्यूटेशन नम्बर 158 दिनांक 21/11/1978 में वादी रामलाल के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 वीरमराम पुत्र हरदेव का नाम इन्द्राज कर दिया जो एक रोंग एन्ट्री है तथा इसी रोंग एन्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ने प्रतिवादीगण संख्या 2 के पक्ष में सहवन की भूल से एवं रोंग एन्ट्री के आधार पर एक बेचाननामा तकमील कर दिया है जो भी कानूनी रूप से रोंग दस्तावेजात् की तारीफ में आता है। इसलिए उक्त रोंग एन्ट्री को दुरूस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इस बाबत् यह वादपत्र घोषणा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में म्यूटेशन संख्या 158 दिनांक 21/11/1978 को पारित किया गया है जो शुरू से ही नल एण्ड वॉईड था क्योकि जिसके नाम म्यूटेशन पारित हुआ वहा हरदेव का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जायंदा पुत्र नहीं था। इसलिए उक्त म्यूटेशन शून्य है। एवं म्यूटेशन शून्य होने के कारण से वीरमराम द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 पुखराज के पक्ष में किया गया बेचाननामा शुरू से ही नल एण्ड वोइड था। इसलिए विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है इस कारण से म्यूटेशन संख्या 158 को अपास्त कर उसके बाद में जो भी म्यूटेशन पारित हुये है एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुये है उन सभी नामों को अपास्त किया जाकर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकारान् बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 20/08/2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार होने पर बमुकाम काणेचा जैतारण में पैदा हुआ जो अंदर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समनस् तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील रामस्वरूप चौधारी ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मय अधिवक्ता ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सा0 मि0 किया गया। राजीनामा में जाहिर किया कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 0 02 के मध्य आपसी समझाईश से व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण में राजीनामा कर लिया हैं। अब इस प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते हैं, वादी के वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को कोई उजर ऐतराज नही हैं। माफिक अनुतोष वादी का वाद डिक्री फरमावें। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या दो की रहन होने से रहन मुक्ति का दस्तावेज पेश किया सा0 मि0 किया गया। बहस सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी संवत 2033 से 2036 तक खातेदार हरदेव के नाम दर्ज थी। हरदेव फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 158 दर्ज हुआ उसमें वीरम पुत्र हरदेव का नाम दर्ज हुआ। वीरम पुत्र हरदेव ने विवदित आराजी अपने नाम होने से पुखराज पुत्र गुलाबराम को बैचान कर दी। बैचान होने से वर्तमान रेकर्ड में पुखराज पुत्र गुलाबराम का नाम दर्ज हैं। हरदेव के फौत होने पर वादी रामलाल का नाम दर्ज होनी चाहिये थी। विवदित आराजी पैतृक पुश्तेनी हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजीनामा पेश किया हैं। राजीनामा अनुसार विवादित आराजी में वादी रामलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो प्रविादीगण कोई आपति ऐतराज नही हैं। राजीनामा तस्दीक किया गया। लिहाजा माफिक राजीनामा वादी रामलाल को प्रतिवादी पुखराज पुत्र गुलाबराम के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझतें हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा काणेचा, पटवार हल्का काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी की खातेदारी एवं पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 10–04 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी रामलाल पुत्र हरदेव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 02 पुखराज पुत्र गुलाबराम का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 23/07/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner